राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
बिहार लोक भवन, पटना–800022

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

*संख्या–**163/2026***

राज्यपाल सचिवालय के चार स्टेनोग्राफर की सेवा <u>तत्काल प्रभाव से समाप्त</u>

पटना 20 अगस्त, 2026 :– राज्यपाल सचिवालय में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत श्री राजेश कुमार, श्री अखिलेश कुमार मिश्र, श्री सुशील कुमार एवं श्रीमती संगीता कुमारी की सेवा आवश्यक दक्षता के अभाव, निर्धारित दक्षता परीक्षा में बार–बार अनुपस्थित रहने तथा नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देशों की अवहेलना के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

इन कर्मियों को स्टेनोग्राफर पद पर नियुक्त तो किया गया, लेकिन नियुक्ति से पहले निर्धारित अनिवार्य लिखित परीक्षा तथा शॉर्टहैंड एवं टाइपिंग दक्षता परीक्षा नहीं ली गई थी। जबकि स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्टहैंड डिक्टेशन लेना तथा उसका सटीक टाइप किया हुआ प्रतिलेख तैयार करना मूल एवं अनिवार्य दायित्व हैं।

कार्य के दौरान इन कर्मियों की कार्यक्षमता एवं दक्षता के संबंध में संबंधित अधिकारियों से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके बाद माननीय राज्यपाल, बिहार के आदेश से उनकी दक्षता एवं कार्यक्षमता के आकलन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। सभी संबंधित कर्मियों को 22 जुलाई, 2026 को आयोजित दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया, लेकिन वे परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्हें 6 अगस्त, 2026 को पुनः दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अंतिम अवसर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया और अपने पद के लिए आवश्यक मूलभूत दक्षताओं से छूट की माँग की।

इन कर्मियों की नियुक्ति 23 जनवरी, 2025 को हुई थी और वे परिवीक्षा अवधि में थे। संबंधित सेवा नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निर्धारित शर्तों के तहत सेवा समाप्त की जा सकती है। उन्हें अपनी दक्षता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया।

इस प्रकार समस्त तथ्यों, उनकी कार्यक्षमता के संबंध में प्राप्त प्रतिकूल रिपोर्ट, दक्षता परीक्षा में लगातार अनुपस्थिति तथा नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देशों की अवहेलना को ध्यान में रखते हुए चारों कर्मियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

....